उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-22/2025/1271/तीस-4-2025-8(19)/2018 टीसी,
लखनऊ: दिनांक: 05 नवम्बर, 2025

<u>अधिसूचना</u>

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-73/2025/2201/77-6-2025-1657900, दिनांक 17.10.2025 के माध्यम से प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 (यथा संशोधित, 2025) सपठित उच्चस्तरीय प्राधिकृत इलेक्ट्रिक व्हीकिल समिति (HLEEVC) की बैठक दिनांक 10.10.2025, के सक्षम स्तर से अनुमोदित कार्यवृत्त, के क्रियान्वयन हेतु, एवं परिवहन विभाग के शासनादेश सं०-420/तीस-4-2023, दिनांक 18 मार्च, 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक यानों पर रोड टैक्स एवं पंजीयन शुल्क में छूट से लाभार्थ/सुविधार्थ निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में निर्गत समदिनांकित अधिसूचनाओं यथा दिनांक 02.03.2023 को निर्गतउ०प्र० मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा-4(2) के अधीन निर्गत अधिसूचना सं०-3/2023/342/तीस-4-2023-8(19)/2018 टी.सी., पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-4(2-क) के अधीन निर्गतअधिसूचना संख्या-4/2023/343/तीस-4-2023-8(19)/2018 टी.सी., पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-6(1) के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या-5/2023/344/तीस-4-2023-8(19)/2018 टी.सी., पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-4(1-क) के अधीन निर्गतअधिसूचना संख्या-6/2023/345/तीस-4-2023-8(19)/2018 टी.सी., दिनांक 02.03.2023 को अवक्रमित करते हुए एवं दिनांक 21.04.2025 को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-4(1)के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या-7/2025/403/तीस-4-2025-8(19)/2009 टी.सी., में आंशिक संशोधन करते हुए,एतदद्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है किअनुमन्य इलेक्ट्रिक वाहनों को, विभिन्न श्रेणी के वाहनों पर लागू कर से, रोड टैक्स में शतप्रतिशत छूट निम्नवत् देय होगी:-

(एक) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 की अधिसूचनाकी तिथि से तीन वर्ष अर्थात दिनांक 14.10.2022 से दिनांक 13.10.2025 तक उत्तर प्रदेश राज्य में क्रयकृत एवं रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत इलेक्ट्रिक यानों (ईवी) पर।

(दो) दिनांक 14.10.2022 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पॉचवें वर्ष अर्थात् दिनांक 14.10.2025 से दिनांक 13.10.2027 तक उत्तर प्रदेश राज्य में क्रयकृत एवं रजिस्ट्रीकृत/पंजीकृत इलेक्ट्रिक यानों (ईवी) पर।

<u>स्पष्टीकरण :</u>

उपर्युक्त छूट के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रिक यान का तात्पर्य केवल शुद्ध विद्युत वाहनों (Pure EVs) से है।

आज्ञा से,

खेमपाल सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-22/2025/1271(1)/तीस-4-2025-8(19)/2018टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

खेमपाल सिंह
विशेष सचिव

संख्या-22/2025/1271(2)/तीस-4-2025-8(19)/2018टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 05 नवम्बर, 2025 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

खेमपाल सिंह
विशेष सचिव

संख्या-22/2025/1271(3)/तीस-4-2025-8(19)/2018टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग /न्याय/वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4
NO-22/2025/1271/30-4-2025-8 (19)/2018 T.C.,
Lucknow: Date: 05 November, 2025

NOTIFICATION

For implementation of the Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy, 2022 (as amended, 2025) promulgated through Notification No. 73/2025/2201/77-6-2025-1657900, dated 17.10.2025 of the Industrial Development Department, Government of Uttar Pradesh read with minutes of meeting dated 10.10.2025 of High Level Empowered Electric Vehicle Committee (HLEEVC) as approved by competent authority, and in the context of the Standard Operating Procedure (SOP) issued by the Transport Department vide Government Order No. 420/30-4-2023, dated 18 March, 2023 for the benefit/facilitation of exemption in road tax and registration fee on electric vehicles under the Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy, 2022, in supersession of notifications issued earlier on same date, i.e., 02.03.2023,Notification No. 3/2023/342/30-4-2023-8(19)/2018 TC under Section 4(2) of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997; Notification No. 4/2023/343/30-4-2023-8(19)/2018 TC issued under Section 4(2-A) of the aforesaid Act; Notification No. 5/2023/344/30-4-2023-8(19)/2018 TC issued under Section 6(1) of the aforesaid Act; Notification No. 6/2023/345/30-4-2023-8(19)/2018 TC issued under Section 4(1-A) of the aforesaid Act and in partial amendment to Notification No. 7/2025/403/30-4-2025-8(19)/2009 TC, dated 21.04.2025 issued under Section 4(1), it is hereby specified that 100% exemption in road tax will be admissible to eligible electric vehicles from the tax applicable on different categories of vehicles, as under:-

(i) Electric vehicles (EVs) purchased and registered in the State of Uttar Pradesh within three years from the date of notification of the Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy, 2022, ie from 14.10.2022 to 13.10.2025.

(ii) Electric vehicles (EVs) purchased and registered in the State of Uttar Pradesh during the fourth and fifth years of the effective period of the Uttar Pradesh Electric Vehicle Manufacturing and Mobility Policy, 2022 notified on 14.10.2022, i.e. from 14.10.2025 to 13.10.2027.

Explanation:
For the purpose of the above exemption, electric vehicles means only pure electric vehicles (Pure EVs).

By Order,

Khempal Singh
Special Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in